

**“ डिस्क्रेशनरी और नॉन-डिस्क्रेशनरी अनुदान  
(विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान) ”**

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (xxiv) के अंतर्गत)

---

“ निरंक ”